भारत सरकार/Government of India
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
जनगणना कार्य निदेशालय,उत्तराखण्ड
Directorate of Census Operations,Uttarakhand
274, फेज–I ,वसन्त विहार, देहरादून – 248006
फोन न0/फैक्स न0 0135–2760068, 2760085
Email:dir-uk.rgi@censusindia.gov.in

8 JAN 2014

पत्रांक : पत्रांकः 11013/21/2012–13/जी0एस0– 43 दिनांक 2014

सेवा में,

मैसर्स .....
.....
.....

निविदा आमंत्रण

विषय :–जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में 03 सुरक्षा कर्मी, 01 चपरासी व 01 सफाई कर्मी हेतु निविदा आमंत्रण के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में संलग्न निविदा आमंत्रण पत्र के अनुसार अपनी फर्म की निविदा इस कार्यालय को दिनांक 21–01–2014 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

08/1/14

(लक्ष्मण सिंह)
सहायक निदेशक (प्रशासन)

भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
जनगणना कार्य निदेशालय,उत्तराखण्ड
Directorate of Census Operations,Uttarakhand
274, फेज–। ,वसन्त विहार, देहरादून – 248006
फोन न0 / फैक्स न0 0135–2760068, 2760085
Email:dir-uk.rgi@censusindia.gov.in

पत्रांक: 11013 / 21 / 2012–13 / जी0एस0– दिनांक

निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय,उत्तराखण्ड 274, फेज–। ,वसन्त विहार, देहरादून को कार्यालय भवन की सुरक्षा गार्ड, चपरासी एवं सफाई कर्मी हेतु निम्नानुसार कर्मचारियों की आवश्यकता है:–

क्रमांक	कर्मी का पद नाम	पदों की संख्या	वांछित योग्यता	संख्या अवधि
1.	चौकीदार / सुरक्षा गार्ड	03	प्राइमरी स्कूल स्तर उत्तीर्ण	तीन पारियों में (प्रति पारी 8 घंटे)
2.	चपरासी	01	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण	8 घंटे
3.	सफाई कर्मी	01		8 घंटे

उक्त हेतु यह निदेशालय सीलबंद निविदाऐं द्विबोली प्रणाली (Two Bid System) में (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) आमंत्रित करती हैं। इच्छुक फर्मो द्वारा अपनी तकनीकी बोली (Technical Bid) एवं वित्तीय बोली (Financial Bid) को अलग–अलग लिफाफों जिन पर स्पष्ट अक्षरों में निविदा सूचना और निर्धारित तारीख लिखकर एक बड़े लिफाफे में रखकर दिनांक 21–01–2013 दोपहर 3.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा किया सकता है। तकनीकी बोली (Technical Bid) में दिये गये शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात ही वित्तीय बोली की निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी।

इच्छुक फर्म डाक के माध्यम से अथवा कार्यालय में डिस्पैच अनुभाग के पास सीधे तौर पर निविदायें जमा कर सकते है

तकनीकी बोली (Technical Bid) :–

निम्नांकित प्रमाण –पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है:–

(क) निविदा प्रदान करने वाले एजेंसी का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

(ख)न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत LEO से प्राप्त न्यूनतम मजदूरी प्रमाण–पत्र लेबर लाइसेंस सहित।

(ग) PAN नम्बर

(घ) सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।

(ङ) ESIC एवं EPF रजिस्ट्रेशन/प्रमाण पत्र।

(छ)प्राइवेट सेक्युरिटी एजेंसी एक्ट के तहत एजेंसी को पंजीकृत होना चाहिए इस आशय का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (यदि उत्तराखण्ड में लागू हो तो)

(ज) निविदाकर्ता फर्म का विगत 3 वर्षों का वार्षिक Turn Over कम से कम राशि रु0 10 लाख वार्षिक होना आवश्यक है, इस हेतु चार्टर अकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट की हुई Audit Balance Sheet की छाया प्रति लगाना आवश्यक है।

(झ) निविदाकर्ता फर्म विगत 3 वर्षों के दौरान अन्य कार्यालयों/संस्थानों में दी गई सेवा संबंधी दस्तावेज)

(ट) निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेज फर्म के प्रतिनिधि द्वारा स्वसत्यापित होने चाहिए।

(ठ) सेवा हेतु आमंत्रित करने का विशेषाधिकार कार्यालय कय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

वित्तीय बोली (Financial Bid)

1. संलग्न किये गये जाने वाले कर्मियों के संबंध में प्रति माह प्रति व्यक्ति का दर प्रस्तुत करना होगा।

2. दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखें कि संलग्न किये जाने वाले कर्मियों को तत्समय प्रभावी नियमानुसार PF, ESIC इत्यादि की कटौती करना अनिवार्य होगा। इसके साथ–साथ नियमानुसार आयकर संबंधी TDS की कटौती भी की जायेगी।

3. सफल निविदाकर्ता (एजेंसी) को अनुबंध करते समय एक वर्ष के लिए अनुबंधित राशि का 5 प्रतिशत बतौर निष्पादन सुरक्षा राशि (Performance Security) किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा जारी FDR जो DDO DCO Uttarakhand, Dehradun (डी0डी0ओ0, जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून) के नाम से तथा देहरादून में देय हो इस कार्यालय में 14 माह के लिये जमा करना होगा।

नियम व शर्तें:–

1- इस निदेशालय में संलग्न किये जाने वाले किसी भी कर्मचारी का वेतन का भुगतान राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की जाती है तो यह कार्यालय अनुबंध अवधि के बीच में दरों में संशोधन नहीं करेगा और बकी हुई दरों पर भुगतान संबंधित फर्म को करना होगा। अतः दरें प्रस्तुत करने वाली फर्म को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बोली में दरें प्रस्तुत करें। फर्म द्वारा प्रदाय दर अनुबंध की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिये प्रभावशील होंगें।

2- कर्मचारियों के व्यवहार/आचरण की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। संबंधित फर्म की जिम्मेदारी होगी कि यह ध्यान रखे कि संलग्न किया गया कोई भी कर्मचारी ऐसा किसी भी प्रकार का व्यवहार/आचरण न करे जो शासकीय कार्यालय की गरिमा के प्रतिकूल हो।

3- कर्मचारियों को किसी भी तरह के शासकीय वेतन भत्ते आदि मान्य नहीं होंगें किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जायेगा। कर्मचारी भविष्य में किसी भी प्रकार के दावे के हकदार नहीं होंगें तथा डयूटी अवधि में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना आदि के लिये यह कार्यालय किसी भी प्रकार के दावे मान्य नहीं करेगा।

4- इस कार्यालय में उक्तानुसार संलग्न किये जा रहे कर्मचारियों का पूर्ण विवरण (पास पोर्ट साइज रंगीन फोटो सहित) कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

5- कार्यालय परिसर में निषिद्ध पदार्थो यथा– शराव, बीड़ी ,सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि का सेवन संलग्न कर्मियों द्वारा नहीं किया जायेगा।

6- सुरक्षा गार्ड/चपरासी/सफाई कर्मी को उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए केयर–'टेकर द्वारा अन्य कार्य सौंपा जा सकता है। सभी कर्मचारियों को प्रत्येक दिन कर्तव्य पर उपस्थित होने पर केयर टेकर को उपस्थिति देनी होगी। किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति की पूर्व सूचना केयर–टेकर को देते हुये उसके एवज में अन्य कर्मचारी को कार्य पर लगाया जाना होगा। कर्मचारी उपलब्ध न कराने की स्थिति में अनुपातिक रुप से भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती किया जायेगा।

7- एजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि एवं ESIC की राशि की कटौती कर संबंधित कार्यालय में नियमित रुप से जमा करना अनिवार्य होगा एवं जमा की गई राशि के संबंध में इस कार्यालय को नियमित अवगत कराना होगा। साथ ही इस दौरान PF, ESIC में नियमानुसार वृद्धि किये जाने पर अतिरिक्त प्रभार का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेग।

8- सुरक्षा गार्ड/ चपरासी/सफाई कर्मी ड्रेस में रहेंगें, जिसकी आपूर्ति संबंधित फर्म द्वारा किया जाना होगा।

9- सुरक्षा गार्ड/चपरासी/सफाई कर्मी के कार्य नियंत्रण अधिकारी की दृष्टि में संतोषजनक नहीं पाये जाने पर किसी भी स्तर पर किसी भी समय एजेंसी द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं निरस्त की जा सकेगीं।

10–निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड,देहरादून के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा जमा करने /खोलने की तिथि:–

निविदा जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड में दिनांक 21.01.2014 को अपरान्ह 3.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है। इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक 21.01.2014 को सांय 4–00 बजे कार्यालय कय समिति के समक्ष तकनीकी बोली खोली जायेगी । दिनांक 21.01.2014 को सांय 4.45 बजे वित्तीय बोली खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

07/1/2014

(एस0एस0ए0जाफरी)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि :

1. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2/ए, मानसिंह रोड,नई दिल्ली–110011 ।
2. ORGI Website (Through Internet).